सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 18, बुधवार, *शाके* 1947- जुलाई 09, 2025

Asadha 18, Wednesday, Saka 1947- July 09, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

(Form M)

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रेल 07, 2025

संख्या प.2(5)वन/2025 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वन भूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियां है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वन भूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रुप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरुप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरुप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्ति करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11(1), 12, 13, 14, 17, 18 और 19 में प्रवहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected Forest) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरित प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन (Protected Forest) के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित (Resarved) हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का

कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वन भूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न:- अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

द्वितीय अनूसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र. स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा नंबर	क्षैत्रफल है0	भूमि किस्म
1	रामसीन नर्सरी	जसवंतपुरा	जालोर	उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व	ग्राम रामसीन की खसरा नं.1223 की खातेदारी भूमि ग्राम रामसीन की खसरा नं.1223 की खातेदारी भूमि ग्राम रामसीन की खसरा नं.1223 की खातेदारी भूमि ग्राम रामसीन खसरा नं.1540 गैर मुमकीन सड़क चोक	रामसीन	1224	0.05 है0	गैर. मुमकीन चोक
					योग		**योग-1**	**0.05 है0**	

कृष्ण कुमार परमार,
क्षैत्रीय वनअधिकारी,
रानीवाड़ा।

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्षक,
जालोर(राज.)।

द्वितीय अनुसूची

पेड/पौधो की सूची

प्रस्तावित वनखण्ड में आने वाली वनस्पतियों के वानस्पतिक नामों की सूची

क्रं.सं.	**बोटेनिकल नाम**	**हिन्दी नाम**
1	Cordia rothaii	गुन्दी
2	Bambusa vulgaris	बांस
3	Cassia Fistula	अमलतास
4	Pithecellobium dulce	जंगल जलेबी
5	senna siamea	केसिया श्यामा
6	leucaena leucocephala	सुबबुल
7	zizyphus jujube	बेर
8	Acacia tortlis	इजरायली बबुल
9	Azadiachta indica	नीम

कृष्ण कुमार परमार,
क्षैत्रीय वनअधिकारी,
रानीवाड़ा।

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्षक,
जालोर(राज.)।

प्रमाण- पत्र
वनखण्ड- रामसीन नर्सरी
रेंज- जसवंतपुरा
वनमण्डल- जालोर (राज.)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि गैर मुमकिन चैक के रूप में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि का मौजा रामसीन के खसरा नम्बर 1224 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन चैक के रूप में वन विभाग के नाम दर्ज है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि क्षेत्र विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं हुए है।
3. चूंकि खसरा नम्बर 1224 की वन भूमि वन विभाग के नाम पुर्व में ही दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.10 से 0.40 तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य गुन्दी, बांस ,अमलतास, जंगल जलेबी, केसिया श्यामा, सुबबुल, बेर, इजरायली बबुल, नीम एवं मिश्रित प्रजातियों के पेड़ एवं झाड़ियां है।
5. प्रस्तावित वन क्षेत्र की समस्त भूमि विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओं से पृथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा।

6. प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दर्शाई गई दिशाओ,सीमाओ एवं स्थिति के अनुरुप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्सो मे लाल स्याही से इंगित किया गया है।

7. उल्लेखित वन क्षेत्र को कानूनी स्वरुप देने के हेतु प्रचलित नियमो के अनुरुप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितांत आवश्यक है जिससे की वन भूमि पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

कृष्ण कुमार परमार,
क्षैत्रीय वनअधिकारी,
रानीवाड़ा।

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्षक,
जालोर(राज.)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।